

3130



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

File No. SD/29/2019/STGJH/DEOTH/RU-III

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,  
खान मार्केट,  
नई दिल्ली-110003  
दिनांक: 09/12/2019

सेवा में,

मुख्य प्रबंध निदेशक,  
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,  
दरभंगा हाउस, कच्छी रोड,  
रांची (झारखण्ड) -834029

विषय: अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में श्रीमती सुरती देवी पति स्व. श्री बकु मांझी, ग्राम पोस्ट हेसागटा, जिला रामगढ़ (झारखण्ड) का अभ्यावेदन ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के समसंख्यक सीटिंग नोटिस दिनांक 04/12/2019 का संदर्भ ग्रहण करें। अतः माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जो बैठक दिनांक 11.12.2019 को 03.00 बजे निर्धारित की गई थी, वह झारखंड में चुनाव होने के कारण निरस्त की जाती है ।

बैठक की अगली तारीख की सूचना बाद में दी जाएगी ।

भवदीय

(आर.के.दुबे)

सहायक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्रीमती सुरती देवी, पति स्व. श्री बकु मांझी,  
ग्राम पोस्ट हेसागटा,  
जिला रामगढ़ (झारखण्ड)